रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-248008 CG-DL-E-10082023-248008

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3427]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2023/श्रावण 19, 1945

No. 3427]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2023/SHRAVANA 19, 1945

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 10 अगस्त, 2023

का.आ. 3581(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) संख्या का.आ. 6071(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2022 में प्रकाशित की गई,की अधिसुचना में निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (क) हिंदी संस्करण में, पहली पंक्ति के स्तंभ(2) में, "गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का नाम और संपर्क ब्यौरे" शब्दों को "सदस्य" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (ख) हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में.-
- (क) क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (2) में, "जल संसाधन विभाग" शब्दों के स्थान पर, "लोक निर्माण विभाग" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 11 के सामने, स्तंभ (2) में,"श्री सुशांत एस. नाइक" शब्दों के स्थान पर, "डॉ. सुशांत एस. नाइक" शब्द रखे जाएंगे;

5165 GI/2023 (1)

(ग) क्रम संख्या 13 के सामने, स्तंभ (2) में, "निदेशक" शब्द के स्थान पर "निदेशक और पदेन संयुक्त सचिव" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.12-6/2005-आईए.III(पार्ट)]

डा.सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्या का.आ. 6071(अ), तारीख 27 दिसंबर. 2022 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER

New Delhi, the 10th August, 2023

S.O. 3581(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub –section (ii), *vide* number S.O. 6071 (E), dated the 27th December, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (A) In the Hindi version, in column (2) of first row, the words, "गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का नाम और संपर्क ब्यौरे" is substituted with the word, "सदस्य".
- (B) In both Hindi and English version, -
 - (a) against serial number 5, in column (2), for the words "Water Resources Department", the words "Public Works Department" shall be substituted;
 - (b) against serial number 11, in column (2), for the words "Shri Sushant S. Naik", the words "Dr. Sushant S. Naik" shall be substituted;
 - (c) against serial number 13, in column (2), for the word "Director", the words "Director and *Exofficio* Joint Secretary" shall be substituted.

[F. No.12-6/2005-IA.III(part)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), dated the 27th December, 2022, *vide* notification number S.O. 6071 (E), dated the 27th December, 2022.